

# मोहर

S T A M P

एसS/5538

1

खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी  
Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society  
संगम-ज्ञापन, नियम एवं विनियम

Memorandum of Association, Rules & Regulations

21.11.62 को पंजीकृत

Registered on 21.11.62

हस्ता/- बी.के.सोम

Sd/- B. K. Som

पंजीयक, फ़र्म, सोसाइटीज़/ गैर व्यापार निगम, पश्चिम बंगाल  
Registrar of Firm, Societies / Non trading Corporations, West Bengal

गोल मोहर Round Seal

प्रतिलिपि हेतु अवेदन दिनांक COPY applied on 14.05.85

प्रतिलिपि तैयार Prepared on 24.05.85

प्रतिलिपि सौंपी Delivered on 24.05.85

खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी  
INSTITUTE OF CATERING TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION  
(CALCUTTA) SOCIETY

साक्षरता, वैज्ञानिक एवं धर्मार्थ सोसाइटीज़ अधिनियम अर्थात् 1860 के अधिनियम XXI के मामले में, और

खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी, जिसे इसके बाद 'सोसाइटी' कहा जाएगा, के मामले में,

In the matter of Act XXI of 1860 being an Act for the registration of literacy, scientific and charitable societies and  
in the matter of the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society, hereinafter referred to as the 'Society'.

संगम-ज्ञापन  
MEMORANDUM OF ASSOCIATION

इस ज्ञापन में 'केंद्रीय सरकार' से अभिप्रेत है खाद्य एवं कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) अथवा यदि ऐसा कोई विभाग न हो, तो वह मंत्रालय /विभाग, जिसे खाद्य विभाग द्वारा सम्प्रति किए जा रहे कार्य, अतिरिक्त कार्यों के रूप में या अन्यथा, अस्थाई तौर पर सौंपे गए हों, तथा राज्य सरकार से अभिप्रेत है 'पश्चिम बंगाल सरकार'.

In this Memorandum 'Central Government' means the Central Government in the Ministry of Food and Agriculture (Department of Food) or if there be no such department, the Department/Ministry which is for the time being, in-charge of the functions now performed by the Department of Food, whether in addition to other functions of otherwise and 'State Government' means the Government of West Bengal.

1. सोसाइटी का नाम खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी होगा.  
The name of the Society shall be the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society.

2. सोसाइटी का पंजीकृत कार्यालय कलकत्ता में अवस्थित होगा.  
The Registered Office of the Society shall be situated at Calcutta.

3. जिन प्रयोजनों के लिए सोसाइटी स्थापित की गई है, वे इस प्रकार हैं:-  
The objects for which the Society is established are :-

i) खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी, जिसे इसके बाद 'संस्थान' कहा जाएगा और जिसके कार्य निम्नवत् होंगे, की स्थापना करना तथा इसका प्रशासन व प्रबंधन करना:-

To establish and to carry on the administration and management of the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Calcutta hereinafter called the 'Institute' whose functions shall be :-

(क) (i) सभी प्रकार की खानपान संस्थापनाओं व साथ ही विद्यालयों व औद्योगिक संस्थापनाओं में भोजन कार्यक्रमों के कुशल कार्य-संचालन के लिए जिन कला-कौशलों, जिन सैद्धान्तिक व अनुप्रयुक्त दोनों ज्ञानों की सभी शाखाओं तथा सभी प्रकार की जिन संगठनात्मक व प्रबंधन तकनीकों की अपेक्षा है, उन सभी में अनुदेश व प्रशिक्षण प्रदान करना;

to provide instruction and training in all the crafts and skills, all the branches of knowledge both theoretical and applied, and all the organizational and management techniques which are required for the efficient functioning or catering establishments of all kinds, as well as institutional feeding programmes in schools, industrial establishment;

(ii) आधुनिक होटलों व छात्रावासों के प्रबंधन की अद्यतन वैज्ञानिक तकनीकों में अनुदेश व प्रशिक्षण प्रदान करना,

To impart instruction and training in modern and scientific techniques of management of modern hotels and hostels;

(ख) पौष्टिक विस्तार व विकास कार्य अपने हाथ में लेना और इनके साथ स्वयं को सम्बद्ध करना;

(b) to undertake and to associate itself with nutritional extension and development work;

(ग) खाद्य-पदार्थों की उठाई-धराई व इनके उपयोग में मितव्ययिता का प्रचार करना;

(c) to propagate economy in the handling and utilization of foodstuffs;

(घ) सामान्य भारतीय आहार के विविधीकरण तथा इसके पौष्टिक तत्वों के संवर्धन के उद्देश्य से, स्वास्थ्यप्रद अनाजेतर खाद्यान्नों, खासकर संरक्षक खाद्यान्नों, को लोकप्रिय बनाने के लिए जो प्रयास केंद्र या राज्य की सरकारों द्वारा किये जा रहे हैं, उन प्रयासों में सहायक होना और स्वयं को उनसे सम्बद्ध करना;

(d) to assist in and associate itself with the efforts of the Central and State Governments to popularise wholesome non-cereal foods, particularly protective foods, with a view to the diversification of the ordinary Indian diet and the enrichment of its nutritional content;

(ङ) खाद्य शोध संस्थान, खाद्य विज्ञानी, और खाद्य प्रौद्योगिकीविद उपयुक्त भोज्य बानगियों का विकास कर के तथा भोज्य तालिकाओं के नियोजन के ज़रिए अपनी-अपनी पोषाहार संकल्पनाओं को साकार करने के प्रभावकारी व स्वीकार्य साधन खोजने के जो प्रयास कर रहे हैं, उन प्रयासों में सहायक होना और स्वयं को उनसे सम्बद्ध करना;

(e) to assist in and associate itself with the attempts of food research institutions, food scientists and food technologists to find effective and acceptable means of presenting their nutritional ideas through the development of suitable receipts and the planting of menus;

(च) अनुदेशों का पाठ्यक्रम निर्धारित करना, परीक्षा लेना और व्यक्तियों को प्रमाणपत्र, डिप्लोमा व अन्य पुरस्कार प्रदान करना;

(f) to prescribe courses of instruction, hold examinations and grant certificates, diploma and other awards to persons;

(छ) उप विधियों में यथा अधिकथित, शुल्क एवं अन्य प्रभार नियत करना और उनकी मांग करना;

(g) to fix and demand such fees and other charges as may be laid down in the by-laws;

(ज) विद्यार्थियों एवं कर्मचारि-वर्ग के सदस्यों के लिए हॉलों व छात्रावासों की स्थापना, अनुरक्षण एवं उनका प्रबंधन करना;

(h) to establish, maintain and manage halls and hostels for the residence of students and members of the staff;

(झ) आवास का पर्यवेक्षण व नियंत्रण करना, संस्थान के विद्यार्थियों की अनुशासनबद्धता का विनियमन करना तथा उनके स्वास्थ्य, सामान्य हित तथा सांस्कृतिक व निगमित जीवन संवर्धन के लिए प्रबंध करना;

(i) to supervise and control the residence, to regulate the discipline of students of the Institute and to make arrangements for promoting their health, general welfare and cultural and corporate life;

(ञ) अध्यापन, प्रशासनिक, तकनीकी, अनुसचिवीय, और आवश्यकतानुसार ऐसे अन्य पदों का सृजन करना और इन पदों पर नियमों व उपविधियों के अनुसार नियुक्ति करना;

(j) to institute teaching, administrative, technical, ministerial and such other posts as may be necessary and to make appointments there to in accordance with rules and by-laws;

(ट) नियमों व उपविधियों के अनुसार , अध्येतावृत्तियाँ , छात्रवृत्तियाँ, प्रदर्शनियाँ, ऋण, बाध्यकारी सहायता, पुरस्कार तथा पदक स्थापित व प्रदान करना; और

(k) to institute and award fellowships, scholarships, exhibitions, loans, mandatory assistance, prizes and medals in accordance with the rules and by-laws ; and

(ठ) विश्वविद्यालयों, या अन्य उपयुक्त शैक्षणिक या शासकीय निकायों अथवा संस्थाओं से संबंधन करना, और उपयुक्त शैक्षणिक प्राधिकारियों की ओर से अपने अनुदेश-पाठ्यक्रमों, अपनी परीक्षाओं, अपने डिप्लोमा, प्रमाण-पत्र तथा अन्य पुरस्कारों के बारे में मान्यता प्राप्त करना.

(l) to seek affiliation with universities or other appropriate academic or governmental bodies or institutions, and obtain the recognition of its courses of instruction, its examinations its diplomas, certificates and other awards by the appropriate educational authorities;

ii) संस्थान और सोसाइटी के कार्य-संचालन के उद्देश्य से नियम व उपविधियाँ बनाना तथा समय-समय पर उनमें परिवर्धन, संशोधन अथवा परिवर्तन करना या उनका विखंडन करना;

To make rules and by-laws for the conduct of the affairs of the institute and society and to add to, amend, vary or rescind them from time to time;

- iii) सोसाइटी के अध्यापकों, कर्मचारि-वर्ग तथा अन्य कर्मचारियों या पूर्व कर्मचारियों अथवा उनकी पत्नियों, बच्चों अथवा अन्य आश्रितों को पेंशन, उपदान, या धर्मार्थ सहायता प्रदान करना;  
To give pensions, gratuities or charitable aid to the teachers, staff and other employees or ex-employees of the society or to their wives, children or other dependents;
- iv) सोसाइटी द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति अथवा ऐसे व्यक्तियों की पत्नियों, संतानों या उनके रिश्तेदारों या आश्रितों को बीमा-राशि का भुगतान करना और उनके लाभ के लिए भविष्य एवं कल्याण निधियाँ स्थापित करना व उनमें अंशदान करना;  
To make payments towards insurance and form and contribute to provident and benefit funds for the benefit of any person employed by the Society or of the wives, children or other relatives or dependents of such persons;
- v) सम्पत्ति का किसी भी प्रकार से अर्जन, धारण और निपटान करना, बशर्ते कि अचल सम्पत्ति के अर्जन अथवा निपटान के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों का पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया गया हो;  
To acquire, hold and dispose of property in any manner whatsoever provided that the prior approval of the Central and State Governments is obtained in the case of acquisition or disposal of immovable property;
- vi) संस्थान के कृत्यों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे सोसाइटी उचित समझे, वैसे सोसाइटी की या उसमें निहित किसी भी सम्पत्ति का निपटान करना;  
To deal with any property belonging to or vested in the Society in such manner as the Society may deem fit for advancing the functions of the Institute;
- vii) सोसाइटी की अचल सम्पत्तियों में से किसी भी सम्पत्ति को बंधक, तबदीली या आडमान या गिरवी रखते हुए अथवा किसी अन्य रीति से, प्रतिभूति के साथ या प्रतिभूति के बगैर धन उधार लेना अथवा जुटाना;  
To borrow and raise moneys with or without security or in the security of any mortgage, charge or hypothecation or pledge over all or any of the immovable properties belonging to the society or in any other manner whatever;
- viii) गृहों, छात्रावासों, विद्यालयों अथवा अन्य इमारतों का निर्माण, सन्निर्माण और अनुरक्षण, और मौजूदा इमारतों सहित इन इमारतों में परिवर्तन, इनका विस्तारण, सुधार, इनकी मरम्मत, इन्हें बड़ा करना अथवा इनमें संशोधन, और साथ ही, इन इमारतों में

प्रकाश, जल, नालियों, जल-निकासी की व्यवस्था करते हुए इन्हें फर्नीचर, फिटिंग्स, उपकरणों, यंत्रों व साधनों और ऐसी अन्य उपयोगी वस्तुओं से सुसज्ज करना, जो इन इमारतों में लग सकें या जिन्हें ये इमारतें धारण कर सकें;

To build, construct and maintain houses, hostels, schools or other buildings, and alter, extend, improve, repair, enlarge or modify the same including any existing building and to provide and equip the same with light, water, drains, drainage, furniture, fittings, instruments, apparatus and appliances and other things for the use to which such buildings to be put up or hold;

- ix) सोसाइटी की अथवा उसके द्वारा धारित किसी भी भूमि, मनोरंजन या क्रीड़ा-मैदानों, पार्कों अथवा किसी अन्य अचल सम्पत्ति का सन्निर्माण या उसका अन्यथा अर्जन, अभिन्यास, मरम्मत, विस्तारण, परिवर्तन, उसे बड़ा करना, उसमें सुधार व उसका उपयोग करना;  
To construct or otherwise acquire, lay out, repair, extend, alter, enlarge, improve and use any land, recreation or playgrounds, parks and any other immovable property belonging to or hold by the Society;
- x) सोसाइटी के उद्देश्यों के संवर्धन हेतु यथा वांछित, पत्रिकाओं, नियतकालिक पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों, पुस्तकों, पुस्तिकाओं या पोस्टरों का आरंभ, संचालन, मुद्रण, प्रकाशन और प्रदर्शन;  
To start, conduct, print, publish and exhibit any magazines periodicals, newspapers, books, pamphlets or posters that may be considered desirable for the promotion of the objects of the Society;
- xi) ऐसी निधि का अनुरक्षण, जिसमें जमा की जाएंगी:  
To maintain a fund to which shall be credited :  
(क) केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त सभी धन राशियाँ,  
(ख) सोसाइटी द्वारा प्राप्त सभी शुल्क व प्रभार राशियाँ,  
(ग) सोसाइटी को उपदानों, उपहारों, दानों, उपकृतियों, वसीयतों अथवा अंतरणों के रूप में मिली सभी धन राशियाँ, और  
(घ) सोसाइटी को किसी भी अन्य प्रकार से अथवा किसी अन्य स्रोत से मिली धन राशियाँ;  
a) all moneys provided by the Central and State Governments;  
b) all fees and other charges received by the Society;  
c) all moneys received by the Society by way of grants; gifts, donations, benefactions, bequests or transfers; and  
d) all moneys received by the society in any other manner or from any other sources;
- xii) निधि की धन राशियाँ उन बैंकों में जमा करना अथवा इन्हें इस प्रकार निवेश करना, जैसा कि सोसाइटी राज्य सरकार के अनुमोदन से विनिश्चय करे ;  
to deposit all moneys credited to the fund in such banks or to invest them in such manner as the Society may, with the approval of the State Government, decide;

- xiii) चैक, टिप्पण अथवा अन्य परक्राम्य लिखत लिखना, बनाना, स्वीकार करना, पृष्ठांकित करना, तथा इन उद्देश्यों के लिए, यथा आवश्यकता, आश्वासनों एवं विलेखों पर हस्ताक्षर करना, निष्पादित करना और उनका परिदान करना;  
To draw, make, accept, endorse, and cheques, notes or other negotiable instruments, and for these purposes to sign, execute and deliver such assurances and deeds as may be necessary;
- xiv) सोसाइटी के गठन तथा सभी किरायों, दरों, करों, निर्गमों व कर्मचारियों के वेतनों सहित किसी भी पूर्वोक्त प्रयोजन के प्रबंध एवं प्रशासन से आनुषंगिक सभी व्यय जो सोसाइटी समय-समय पर करती है, उन व्ययों का भुगतान सोसाइटी की निधियों में से अथवा ऐसी निधियों के किसी अंश विशेष में से किया जाएगा;  
To pay out of the funds belonging to the Society or out of any particular part of such funds expenses incurred by the Society from time to time including all expenses incidental to the formation of the Society and management and administration of any of the foregoing objects including all rents, rates, taxes, outgoings and the salaries of the employees;
- xv) राज्य सरकार द्वारा यथा विहित प्ररूप में, उचित लेखे व अन्य विहित अभिलेख रखना और वार्षिक लेखा विवरणियाँ तैयार करना;  
To maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts including the balance sheet in such form as may be prescribed by the State Government.
- xvi) राज्य सरकार द्वारा यथा निदेशित पद्धतियों के अनुसार सोसाइटी के लेखाओं की सम्परीक्षा कराना और लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत् प्रमाणित इन सम्परीक्षित लेखाओं को लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ प्रति वर्ष केंद्र और राज्य सरकारों को अग्रेषित करना;  
To have the accounts of the Society audited in such manners as the State Government may direct and to forward annually to the Central and State Government accounts duly certified by the auditors together with the audit report thereon;
- xvii) जैसी यह उचित समझे, वैसी समितियाँ अथवा उप समितियाँ गठित करना;  
To constitute such committees or sub-committees as it may deem fit;
- xviii) संस्थान के शासी मंडल अथवा कार्यकारिणी समिति अथवा सोसाइटी द्वारा गठित समितियों या उप समितियों अथवा मंडल अथवा इसके निकायों के किसी एक सदस्य या एक से अधिक सदस्यों अथवा इसके अधिकारियों को अपनी सभी शक्तियाँ या इनमें से कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित करना;  
To delegate all or any of its powers to the Boards of Governors of the Institute or to the Executive Committee or to any of the Committees or

Sub-Committees constituted by the Society or the Board or to any one or more members of its bodies or its officers;

xix) ऐसे सभी विधिपूर्ण कार्य, विलेख अथवा चीजें सम्पन्न करना, जो सोसाइटी के सभी उद्देश्यों या इनमें से किसी उद्देश्य की पूर्ति आवश्यक रूप से आनुषंगिक या सहायक हों;  
To do all such lawful acts, deed or things as may be necessary incidental or conducive to the attainment of all or any of the objects of the Society;

4. सोसाइटी की किसी भी अचल सम्पत्ति का निपटान किसी भी प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारों के अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा.

No immovable property of the Society shall be disposed off in any manner whatsoever without the approval of the Central and State Governments.

5. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, सोसाइटी अथवा संस्थान को ऐसे निदेश जारी कर सकती है, जिन्हें वह सोसाइटी के उद्देश्यों की पूर्ति तथा सोसाइटी का प्रभावी कार्य-संचालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे.

The Central Government may issue in consultation with the State Government such directions to the Society or the Institute as it may consider necessary for the furtherance of the objects of the Society and for ensuring the effective functioning of the Society.

6. केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, एक अथवा अधिक व्यक्तियों को, जैसा केंद्र सरकार नियत करे, उस रीति से, सोसाइटी या संस्थान के कार्य व प्रगति की समीक्षा करने और इनके बारे में जाँच करने और इस जाँच का प्रतिवेदन देने के लिए नियुक्त कर सकती है. इस प्रकार का कोई भी प्रतिवेदन मिलने पर केंद्र सरकार, राज्य सरकार के परामर्श से, किसी संस्थान के संबंध में, जैसी यह उचित समझे, वैसी कार्रवाई और जैसे यह उचित समझे, वैसे निदेश जारी कर सकती है और संस्थान, यथा प्रकरण, ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होंगे.

The Central Government may appoint in consultation with the State Government one or more persons to review the work and progress of the Society or Institute and to hold enquiries into the affairs thereof and to report thereon, in such manner as the Central Government may stipulate. Upon receipt of any such reports the Central Government in consultation with the State Government may take such action and issue such directions as it may consider necessary in respect of any Institute, as the case may be, shall be bound to comply with such directions.

7. सोसाइटी की व्युत्पन्न आय और सम्पत्ति इस संगम-ज्ञापन में यथा वर्णित उद्देश्यों के संवर्धन में प्रयुक्त होगी, किंतु केंद्र अथवा राज्य सरकार से मिले अनुदानों का उपयोग उन निबंधनों के अधीन रहेगा, जिन्हें केंद्र अथवा राज्य सरकार समय-समय पर अधिरोपित करे. सोसाइटी की आय या सम्पत्ति का कोई भी अंश लाभांश, बोनस अथवा किसी भी तरह के अन्यथा फायदे के रूप में, उस व्यक्ति या उन व्यक्तियों को, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, अदा अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा, जो सोसाइटी का सदस्य हो अथवा किसी भी समय रहा हो या जो सोसाइटी के सदस्य हों अथवा किसी भी समय रहे हों, अथवा जो इन सदस्यों या इनमें से किसी भी सदस्य के जरिए इस तरह



का दावा पेश करे या करें, बशर्ते कि यहाँ वर्णित कोई बात सोसाइटी को, अपने किसी सदस्य को या सोसाइटी को प्रदत्त सेवाओं के बदले किसी व्यक्ति को अथवा यात्रा भत्ता, प्रवास या अन्य समान प्रभारों के रूप में पारिश्रमिक के सद्भावपूर्वक भुगतान करने से नहीं रोकेगी।

The income and property of the society, derived, shall be applied towards the promotion of the objects, as set forth in this Memorandum of Association subject nevertheless in respect of the grants made by the Central or the State Government to such limitations as the Central or the State Government may, from time to time, impose. No part of the income and property of the Society shall be paid or transferred directly or indirectly by way of dividends, bonus or otherwise howsoever by way of profit to the persons who at any time are or have been members of the society or to any of them or to any person claiming through them or any of them provided that nothing herein contained shall prevent the payment in good faith of remuneration of any member thereof or any person in return for any service rendered to the Society or for travelling allowance; halting or other similar charges.

8. सोसाइटी के शासी मंडल के प्रथम सदस्यों (नियमों और उप-विधियों में शासी मंडल के रूप में यथा संदर्भित) के नाम व पते, जिन्हें सोसाइटी के नियमों और उप-विधियों द्वारा इसके कामकाज का प्रबंध सौंपा गया:-

The names and address and occupations of the first members of the Governing Body of the Society (referred to in the Rules and Bye-laws as the Board of Governors) to which by the Rules and By-laws of the Society the management of its affairs entrusted are :-

1	केंद्रीय सरकार द्वारा नामित अध्यक्ष The Chairman nominated by the Central Government	श्री बी.बी.घोष, अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट Shri B. B. Ghosh, Chairman, Commissioner of Port of Calcutta	अध्यक्ष Chairman
2	पदेन मुख्य निरीक्षक, तकनीकी शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार The Chief Inspector, Technical Education, Government of West Bengal, ex-officio	श्री ए.सी.सेन, मुख्य निरीक्षक, तकनीकी शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार, नवीन सचिवालय भवन, कलकत्ता Shri A. C. Sen, Chief Inspector, Technical Education, Government of West Bengal, New Secretariat Buildings, Calcutta	सदस्य Member
3	पश्चिम बंगाल सरकार के दूसरे प्रतिनिधि The second representative of Government of West Bengal	डॉ. एस.आर.सेनगुप्ता, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (पोषण आहार अपमिश्रण) राइटर्स भवन, कलकत्ता Dr. S. R. Sen Gupta, Assistant Director of Health Services (Nutrition Food Adulteration), Writers' Buildings, Calcutta	सदस्य Member
4	पश्चिम बंगाल सरकार के तीसरे प्रतिनिधि The third representative of Government of West Bengal	श्रीमती अशोका गुप्ता, सदस्य, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 104/5, गरियाहाट रोड, कलकत्ता - 700 029 Smt. Asoka Gupta, Member, All India Women's Conference, 104/5, Gariahat Road, Calcutta - 700 029.	सदस्य Member
5	केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि Representative of the Central Government	श्री जे.सी.लूथर, उप वित्त सलाहकार, वित्त मंत्रालय (खाद्य), नई दिल्ली Shri J. C. Luther, Deputy Financial Advisor, Ministry of Finance (Food), New Delhi	सदस्य Member
6	केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि Representative of the Central Government	डॉ. पी.के. कायल, तकनीकी सलाहकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली Dr. P. K. Kayal, Technical Advisor, Ministry of Food & Agriculture, Department of Food, KrishiBhavan, New Delhi	सदस्य Member
7	केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि Representative of the	श्री रामास्वामी आर. अय्यर, अवर सचिव, खाद्य और	सदस्य Member

	Central Government	कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली Shri Ramaswamy R. Iyer. Under Secretary, Ministry of Food & Agriculture, Department of Food, New Delhi	
8.	केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि Representative of the Central Government	श्री ए.बी. चंडीरामानी, उप शिक्षा सलाहकार (तक), वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संस्कृति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली Shri A.B. Chandiramani, Deputy Education Advisor (T), Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, New Delhi	सहस्य Member
9	केंद्र सरकार द्वारा नामांकित खानपान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ Expert on Catering Technology nominated by the Central Government	श्री सी.बैलफील्ड स्मिथ, एफ.ए.ओ. खानपान एवं आहार शास्त्र विशेषज्ञ Shri C. Belfield Smith, F.A.O, Expert in Catering and Dietetics	सदस्य Member
10	राज्य सरकार द्वारा यथा नामांकित कलकत्ता क्षेत्र के होटल एवं रेस्तराँ संघ के प्रतिनिधि Representative of the Hotel and Restaurant Association of Calcutta Region to be nominated by the State Government	श्री सी. ग्रीन, ग्रेट ईस्टर्न होटल लिमिटेड, कलकत्ता Shri C. Green, Great Eastern Hotel Limited, Calcutta	
11	संस्थान के पदेन प्राचार्य Principal of the Institute, Ex-officio	रिक्त Vacant	

हम, कई व्यक्ति जिनके नाम और पते नीचे दिए गए हैं, इस संगम-ज्ञापन में वर्णित उद्देश्यों के साथ स्वयं को सहयुक्त करते हुए, इस संगम-ज्ञापन पर अपने नाम से एतद्वारा हस्ताक्षर करते हैं और अपने-अपने कई हाथों को आबद्ध करते हुए वर्ष उन्नीस सौ बासठ में आज के दिन 1860 के अधिनियम XXI के तहत स्वयं को एक सोसाइटी के रूप में गठित करते हैं.

We, the several persons whose name and address are given below, having associated ourselves for the purpose described in this Memorandum of Association, do hereby subscribed our names to this Memorandum of Association and set our several and respective hands here up to and form ourselves in to a Society under Act XXI of 1860, this day of nineteen sixty two.

क्रम Sl	सदस्यों के नाम, पते और व्यवसाय Names, address and occupation of Members	सदस्यों के हस्ताक्षर Signature of Members	साक्षियों के नाम, पते और व्यवसाय Name, address and occupation of Witnesses	साक्षियों के हस्ताक्षर Signature of Witnesses
1	श्री बी.बी.घोष, अध्यक्ष, कलकत्ता पोर्ट Shri B. B. Ghosh, Chairman, Commissioner of Port of Calcutta	हस्ता/ Sd/	हस्ता/श्री जे.के. जगतियानी उप तकनीकी सलाहकार, खाद्य मंत्रालय, भारत सरकार, कलकत्ता Sd/ J. K. Jagtiani Dy. Technical Advisor, Ministry of Food, Govt of India, Calcutta	
2	श्री ए.सी.सेन, मुख्य निरीक्षक, तकनीकी शिक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार, नवीन सचिवालय भवन, कलकत्ता Shri A. C. Sen, Chief Inspector, Technical Education, Government of West Bengal, New Secretariat, Buildings, Calcutta	हस्ता/ Sd/	हस्ता/ श्री एस.के. भट्टाचार्य विकास अधिकारी (तक), 1, हेस्टिंग्स स्ट्रीट, 12वाँ तल, कलकत्ता - 700 001 Sd/ S. K. Bhattacharyay, Development Officer, (Tech), 1, Hastings street, 12 <sup>th</sup> Floor, Calcutta - 700 001.	
3	डॉ. एस.आर. सेनगुप्ता, सहायक निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं (पोषण आहार अपमिश्रण), राइटर्स भवन, कलकत्ता Dr. S. R. Sen Gupta, Assistant Director of Health Services Nutrition Food Adulteration, Writers' Buildings, Calcutta	ह/ एस.आर. सेनगुप्ता Sd/ S. R. Sengupta	ह/ सचींद्रनाथ भट्टाचार्य, चिकित्सा अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, पश्चिम बंगाल सरकार. Sd/ Sachindranath Bhattacharyya, Medical Officer, Directorate of Health Services, Govt. of West Bengal.	
4	श्रीमती अशोका गुप्ता, सदस्य, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, 104 /5, गरियाहाट रोड, कलकत्ता - 700 029 Smt. Asoka Gupta, Member, All India Women's Conference, 104/5,	हस्ता/ Sd/	श्री जे.के. जगतियानी उप तकनीकी सलाहकार J. K. Jagtiani, Dy. Technical Advisor	

	Gariahat Road, Calcutta – 700 029.			
5	श्री जे.सी.लूथर, उप वित्त सलाहकार, वित्त मंत्रालय (खाद्य), नई दिल्ली Shri J. C. Luther, Deputy Financial Advisor, Ministry of Finance (Food), New Delhi	हस्ता/ Sd	जे.एन.गौर, अनुभाग अधिकारी, खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली J. N. Gaur, Section Officer, Ministry of Food & Agriculture (Department of Food), New Delhi	
6	डॉ. पी.के. कायल, तकनीकी सलाहकार, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली Dr. P. K. Kayal, Technical Advisor, Ministry of Food & Agriculture, Department of Food, KrishiBhavan, New Delhi	हस्ता/ Sd	जे.एन.गौर, अनुभाग अधिकारी, खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग), नई दिल्ली J. N. Gaur, Section Officer, Ministry of Food & Agriculture (Department of Food), New Delhi	
7	श्री रामास्वामी आर. अय्यर, अवर सचिव, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली Shri Ramaswamy R. Iyer, Under Secretary, Ministry of Food & Agriculture, Department of Food, New Delhi	हस्ता/ Sd	श्री टी.वी. विश्वनाथन अनुभाग अधिकारी, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली T. V. Viswanathan, Section Officer, Ministry of Food & Agriculture, Deptt. of Food, New Delhi	
8.	श्री ए.बी. चंडीरामानी, उप शिक्षा सलाहकार (तक), वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संस्कृति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली Shri A.B. Chandiramani, Deputy Education Advisor (T), Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, New Delhi	हस्ता/ Sd	श्री एच.एस.साहनी, सहायक शिक्षा सलाहकार (तक) वैज्ञानिक अनुसंधान एवं संस्कृति कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली H.S. Sahani, Assistant Educational Advisor (T), Ministry of Scientific Research & Cultural Affairs, New Delhi	
9.	श्री सी.बैलफील्ड स्मिथ, एफ.ए.ओ. खानपान एवं आहार शास्त्र विशेषज्ञ Shri C. Belfield Smith, F.A.O., Expert in Catering and Dietetics	हस्ता/ Sd	श्री टी.वी. विश्वनाथन अनुभाग अधिकारी, खाद्य और कृषि मंत्रालय, खाद्य विभाग, नई दिल्ली T. V. Viswanathan, Section Officer, Ministry of Food & Agriculture, Deptt. of Food, New Delhi	
10	श्री सी. ग्रीन, ग्रेट ईस्टर्न होटल लिमिटेड, कलकत्ता Shri C. Green, Great Eastern Hotel Limited, Calcutta	हस्ता/ Sd	श्री बी.के.रॉय एस्कवायर, निदेशक, ग्रेट ईस्टर्न होटल 1,2 व 3, ओल्ड कोर्ट हाउस स्ट्रीट, कलकत्ता B. K. Roy, Esq. Director, Great Eastern Hotel, 1,2&3, Old Court House Street, Calcutta.	

# मोहर

S T A M P

एस S/5598

खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी  
Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society  
संगम-ज्ञापन, नियम एवं विनियम

Memorandum of Association, Rules & Regulations

21.11.62 को पंजीकृत

Registered on 21.11.62

हस्ता/- बी.के.सुर

Sd/- B. K. Soor

पंजीयक, फ़र्म, सोसाइटीज़/ गैर व्यापार निगम, पश्चिम बंगाल

Registrar of Firm, Societies / Non trading Corporations, West Bengal

**खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी**  
INSTITUTE OF CATERING, TECHNOLOGY AND APPLIED NUTRITION (CALCUTTA) SOCIETY

**नियम RULES**

1. **परिभाषा: Definition:** इन नियमों में -In these rules -
  - (क) 'सोसाइटी' से अभिप्रेत है खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी;
  - (ख) 'संस्थान' से अभिप्रेत है खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ता
  - (ग) 'केंद्रीय सरकार' से अभिप्रेत है भारत सरकार में खाद्य और कृषि मंत्रालय (खाद्य विभाग) अथवा यदि ऐसा कोई विभाग अस्तित्व में नहीं है, तो वह विभाग/मंत्रालय, जिसके पास खाद्य विभाग द्वारा सम्प्रति सम्पन्न कार्यों का, अन्य कार्यों के अतिरिक्त अथवा अन्यथा, अस्थाई तौर पर प्रभार है;
  - (घ) 'राज्य सरकार' से अभिप्रेत है पश्चिम बंगाल सरकार;
  - (ङ) 'अध्यक्ष' से, जहाँ संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, अभिप्रेत है, सोसाइटी का अध्यक्ष;
  - (च) 'प्राचार्य' से अभिप्रेत है खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) का प्राचार्य
  - (a) 'Society' means the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society;
  - (b) 'Institute' means the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Calcutta.
  - (c) 'Central Government' means the Government of India in the Ministry of Food & Agriculture (Department of Food) or if there be no such Department, the Department/Ministry which is for the time being in charge of the functions now performed by the Department of Food, whether in addition to other functions or otherwise;
  - (d) 'State Government' means the Government of West Bengal;
  - (e) 'Chairman' means except where the context otherwise requires the Chairman of the Society;
  - (f) 'Principal' means the Principal of Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta).
2. **पंजीकृत कार्यालय: Registered Office :**

सोसाइटी का कार्यालय कलकत्ता में अवस्थित होगा.  
The Office of the Society shall be situated at Calcutta.
3. **सदस्यता: Membership :**
  - (i) सोसाइटी फिलहाल निम्नानुसार गठित होगी:-

The Society for the time being shall consist of the following :-

    - (क) केंद्र सरकार द्वारा नामांकित एक अध्यक्ष
    - (ख) राज्य सरकार के तीन प्रतिनिधि, जिनमें से एक प्रतिनिधि पश्चिम बंगाल सरकार का पदेन तकनीकी शिक्षा निदेशक होगा अथवा ऐसा कोई व्यक्ति न होने की स्थिति में, वह

अधिकारी जो फ़िलहाल विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है व जिसके पास तकनीकी शिक्षा

का प्रभार, अतिरिक्त कार्यों के रूप में या अन्यथा, है

(ग) केंद्रीय सरकार के चार प्रतिनिधि

(घ) एक खानपान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, जो केंद्र सरकार द्वारा नामांकित होगा

(ङ) कलकत्ता क्षेत्र के होटल एवं रेस्तराँ संघ का एक प्रतिनिधि, जो राज्य सरकार द्वारा नामांकित होगा

(च) संस्थान का प्राचार्य, पदेन

(a) A Chairman nominated by the Central Government

(b) Three representatives of the State Government, one being the Director of Technical Education, West Bengal Government ex-officio, or if there be no such person, the officer who is for the time being the administrative head of the department who is in charge of Technical Education, whether in addition to other functions or otherwise.

(c) Four representatives of the Central Government

(d) An expert on catering technology to be nominated by the Central Government

(e) A representative of the Hotel and Restaurant Association of Calcutta region to be nominated by the State Government.

(f) The Principal of the Institute, ex-officio

(ii) शासी मंडल किसी भी अन्य व्यक्ति को सोसाइटी के सदस्य के रूप में कभी भी सहयोजित कर सकता है, और इस प्रकार सहयोजित सदस्य को सोसाइटी के सदस्य के सभी अधिकार एवं सुविधाएं प्राप्त होंगी।

The Board of Governors may at any time co-opt any other person as a member of the Society, and the member so co-opted shall have all the rights and privileges of a member of the Society.

4. सोसाइटी सदस्यों की नामावली-पंजी रखेगी और सोसाइटी का प्रत्येक सदस्य इस नामावली-पंजी में हस्ताक्षर करेगा और उसमें अपना नाम, पदनाम, व्यवसाय व पता लिखेगा। जब तक नामावली-पंजी में पूर्वोक्तानुसारहस्ताक्षर नहीं होते, तब तक कोई भी व्यक्ति सदस्य नहीं माना जाएगा और न ही वह सदस्य के रूप में किसी भी अधिकार अथवा सुविधा के उपभोग का पात्र होगा।

The Society shall keep a roll of members and every member of the society shall sign the roll and state therein his name, designation, occupation and address. No person shall be deemed to be a member be entitled to exercise any of the rights and privileges of a member unless he has signed the roll as aforesaid.

5. यदि सोसाइटी के किसी सदस्य का पता बदलता है, तो वह अपना नए पते की सूचना देगा, सदस्यों की नामावली-पंजी में दर्ज उसका पता ही उसका वास्तविक पता माना जाएगा।

If a member of the Society shall change his address, he shall notify his new address, the address in the roll of members shall be deemed to be his address.

6. सोसाइटी का कोई सदस्य (अध्यक्ष, केंद्रीय सरकार द्वारा नामांकित खानपान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और प्राचार्य, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ताको छोड़ कर) यदि सोसाइटी की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो वह सोसाइटी की उस बैठक के लिए अपनी एवज़ अपना

प्रतिनिधि नियुक्त करते हुए बैठक में उपस्थिति के लिए उसे प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि को उस बैठक में मत देने सहित सोसाइटी के सदस्य के सभी अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होंगी। Should any member of the Society (other than the Chairman, the expert on Catering Technology nominated by the Central Government and the Principal, Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Calcutta) be prevented from attending a meeting of the Society, he shall be at liberty to appoint and authorise a representative to take his place at that meeting of the Society and such representative shall have all the rights and privileges of a member of the Society including the right to vote for that meeting.

#### 7. सदस्यों का कार्यकाल: Tenure of Members :

- i) जब कोई व्यक्ति अपने पद के कारण सोसाइटी का सदस्य बनता है, तो उस पद पर न रहने की स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी。  
When a person becomes member of the Society by reason of the office he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office.
- ii) केंद्र सरकार या राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता केंद्र या राज्य सरकार, जैसी भी स्थिति हो, के प्रसादपर्यंत ही जारी रहेगी。  
A member of the Society representing the Central Government or the State Government shall continue to be a member during the pleasure of the Central Government or the State Government as the case may be.
- iii) कलकत्ता क्षेत्र के होटल और रेस्तराँ संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले सोसाइटी के सदस्य की सदस्यता उक्त संघ के अनुरोध पर यदि राज्य सरकार द्वारा प्रतिसंहत कर दी जाती है, तो ऐसी स्थिति में वह सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा。  
The member of the Society representing the Hotel and Restaurant Association of Calcutta Region shall cease to be a member of the Society as soon as he is revoked from the membership of the Society by the State Government upon a request to that effect being made by the said Association.
- iv) प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष सहित), जो इन नियमों के उप नियम (i) और (ii) के अंतर्गत नहीं आता, अपनी नियुक्ति या अपने नामांकन की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति पर सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा परंतु वह पुनर्नियुक्ति या पुनर्नामांकन, जैसी भी स्थिति हो, के लिए पात्र होगा। Every member (including the Chairman) not covered by sub-rules (i) and (ii) of this Rules shall cease to be a member on the expiry of three years from the date of his appointment or nomination but shall be eligible for re-appointment or re-nomination, as the case may be.

#### 8. सदस्यता की समाप्ति: Cessation of Membership :

सोसाइटी का कोई सदस्य इन स्थितियों में सोसाइटी का सदस्य नहीं रहेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाती है, वह त्यागपत्र दे देता है, विकृत चित्त हो जाता है, न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, या नैतिक अधमता विषयक दांडिक अपराध में सिद्धदोष ठहरा दिया जाता है, या वह सोसाइटी की सदस्यता से हटा दिया जाता है, अथवा यदि वह (प्राचार्य को छोड़ कर) संस्थान में पूर्णकालिक

नियोजन स्वीकार कर लेता है, अथवा यदि वह सोसाइटी की लगातार तीन बैठकों में अध्यक्ष की अनुमति के बगैर अनुपस्थित रहता है.

A Member of the Society shall cease to be a member of the Society; if he shall die, resign, become unsound mind, be adjudged or adjudicated an insolvent, or be convicted of a criminal offence involving moral turpitude, or if he is removed from the membership of the Society, or if he (other than the Principal) accepts a full-time appointment in the Institute, or if he does not attend three consecutive meetings of the Society without leave of the Chairman.

#### 9. त्यागपत्र: Resignations :

- i) अध्यक्ष केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए एक पत्र के ज़रिए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और उनका त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख से केंद्र सरकार यह त्यागपत्र स्वीकार करे.

The Chairman may resign his office by a letter addressed to the Central Government and his resignation shall take effect from the date it is accepted by the Central Government.

- ii) सदस्य अध्यक्ष को संबोधित करते हुए एक पत्र के ज़रिए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और उनका त्यागपत्र उस तारीख से प्रभावी होगा, जिस तारीख से अध्यक्ष यह त्यागपत्र स्वीकार करें.

A member may resign office by a letter addressed to the Chairman and such resignation shall take effect from the date it is accepted by the Chairman.

#### 10. रिक्तिया: Vacancies :

सोसाइटी की रिक्तियों को नियुक्ति अथवा नामांकन के ज़रिए भरने का जिन अधिकारियों को हक है, उन संबंधित अधिकारियों द्वारा सोसाइटी की रिक्तियाँ ऐसी नियुक्ति अथवा ऐसे नामांकन के ज़रिए भरी जा सकती हैं और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए नियुक्त अथवा नामांकित सदस्य की पदावधि उस सदस्य की शेष अवधि तक रहेगी, जिसकी एवज़ उसे नियुक्त अथवा नामांकित किया गया है.

Any vacancy in the Society shall be filled by either appointment or nomination by the respective authority entitled to make such appointment or nomination and the term of office of a member appointed or nominated to fill a casual vacancy shall continue for the remainder of the member in whose place he has been appointed or nominated.

11. सोसाइटी में किसी रिक्ति के होने पर भी और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में त्रुटि होते हुए भी, सोसाइटी कार्य करती रहेगी ; और सोसाइटी का कोई कृत्य या कार्यवाही, सोसाइटी में किसी रिक्ति के होने और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में हुई त्रुटि के कारण मात्र से, अविधिमान्य नहीं होगी.

The Society shall function, notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding defect in the appointment or nomination of any of its members; and no act or proceeding of the Society shall be in valid merely by reason of the existence of



any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.

12. सोसाइटी की बैठकें :Meeting of the Society :

- i) जब भी अध्यक्ष उचित समझें, सोसाइटी की बैठक होगी, बशर्ते कि सोसाइटी की बैठक बुलाने की चार से अनधिक सदस्यों की लिखित मांग पर, जिसमें प्रस्तावित बैठक के प्रयोजन का उल्लेख हो, अध्यक्ष सोसाइटी की बैठक बुलाएंगे.  
The Society shall meet whenever the Chairman thinks fit, provided that the Chairman shall call a meeting of the Society upon a written requisition of not less than four members, specifying the object of the meeting proposed to be called.
- ii) सोसाइटी की प्रत्येक बैठक के लिए पंद्रह दिन की सूचना दी जाएगी, बशर्ते कि अध्यक्ष कोई विशेष बैठक, इस बैठक के कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए, ऐसी सूचना पर जैसा वह उचित समझें, बुला सकते हैं.  
For every meeting of the Society fifteen days' notice shall be given provided that the Chairman may for reason to be recorded, call a special meeting on such notice as he may deem fit.
- iii) किसी भी बैठक की गणपूर्ति के लिए पाँच सदस्यों, जिनमें नियम 6 के तहत प्रतिनिधि भी शामिल हैं, की उपस्थिति पर्याप्त मानी जाएगी.  
Five members of the Society including any representative authorised under Rule 6 shall constitute a quorum at any meeting.
- iv) सदस्यों में मतभेद होने पर, बहुसंख्य की राय अभिभावी होगी.  
In case of difference of opinion amongst the members, the opinion on of the majority shall prevail.
- v) अध्यक्ष सहित सोसाइटी के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा और सोसाइटी द्वारा अवधारण होने वाले किसी मसले पर पक्ष-विपक्ष में यदि समान मत पड़े हैं, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य अतिरिक्त अथवा निर्णायक मत डाल सकेंगे.  
Each member of the Society, including the Chairman, shall have one vote and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Society the Chairman or member presiding shall have an additional or casting vote.
- vi) सोसाइटी की हर बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी और, उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उस समय उपस्थित सदस्यों में से चुने गए कोई सदस्य करेंगे.  
Every meeting of the Society shall be presided over by the Chairman and, in his absence by a member chosen by the members present to preside on the occasion.
- vii) सोसाइटी की बैठकों में रखे गए कामकाज के अलावा, किसी अन्य कामकाज को, जिसे संपन्न करना सोसाइटी के लिए आवश्यक हो, भारत स्थित अपने सदस्यों के बीच इस

कामकाज का ब्यौरा परिचालित करते हुए, संपन्न किया जा सकता है और इस प्रकार सदस्यों में परिचालित व बहुसंख्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से विधिवत् अनुमोदित कोई भी संकल्प उसी तरह प्रभावशील एवं बाध्यकारी होगा , मानो इसे सोसाइटी की बैठक में ही पारित किया गया हो, बशर्ते कि संकल्प पर सोसाइटी के कम से कम पाँच सदस्यों ने अपनी-अपनी राय अभिलेखबद्ध कर दी हो;

Any business which it may be necessary for the Society to perform, except such as may be placed before its meetings, may be carried out by the circulation among all its members in India and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Society; PROVIDED that at least five members of the Society have recorded their views on the resolution;

13. शासी मंडल की संरचना, शक्तियाँ, बैठकें आदि: Board of Governors composition, powers, meetings etc : सोसाइटी के कामकाज एवं इसकी आय व संपत्ति का साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण शासी निकाय में निहित रहेगा, जिसे शासी मंडल, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान कहा जाएगा.

The general superintendence, direction and control of the affairs of the Society and its income and property shall be vested in the Governing Body which shall be called the Board of Governors, Institute of Catering Technology and Applied Nutrition.

14. मंडल के सदस्य वही होंगे, जो सोसाइटी के सदस्य हैं.  
The members of the Board shall be the same as the members of the Society.

15. मंडल का कोई सदस्य (अध्यक्ष, केंद्र सरकार द्वारा नामांकित खानपान प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ और प्राचार्य, खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान, कलकत्ता को छोड़ कर) यदि मंडल की बैठक में भाग लेने में असमर्थ है, तो वह अपने एवज अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करते हुए उसे मंडल की उस बैठक में भाग लेने के लिए प्राधिकृत कर सकता है और ऐसे प्रतिनिधि को केवल उस बैठक में मत देने के अधिकार सहित मंडल के सदस्य को रूप में सभी अधिकार व सुविधाएं प्राप्त होंगी.

Should any member of the board (other than the Chairman, the expert on Catering Technology nominated by the Central Government and the Principal of the Institute of Catering Technology and Applied Nutrition, Calcutta) be prevented from attending a meeting of the Board. He shall be at liberty to appoint and authorise a representative to take his place at that meeting of the Board and such representative shall have all the rights and privileges of a member of the Board including the right of the vote for that meeting only.

16. मंडल में किसी रिक्ति के होने पर भी और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में त्रुटि होते हुए भी, मंडल कार्य करता रहेगा ; और मंडल का कोई कृत्य या कार्यवाही, मंडल में किसी रिक्ति के होने और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में हुई त्रुटि के कारण मात्र से, अविधिमान्य नहीं होगी.

The Board shall function, notwithstanding any vacancy wherein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members; and no act or proceeding of the Board shall be invalid merely be reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.

17. (i) मंडल निम्नांकित विषयों अथवा इनमें से किसी भी विषय की व्यवस्था हेतु उप-विधियाँ विरचित कर सकता है; अर्थात्

The Board may frame by-laws to provide for all or any of the following matters; viz.

(क) अध्यापन विभाग बनाना;

(ख) संस्थान में अध्ययन के पाठ्यक्रमों और पुरस्कार प्रदान करने हेतु परीक्षा में प्रवेश के लिए प्रभार्य शुल्क;

(ग) अध्येतावृत्ति, छात्रवृत्ति, प्रदर्शनी ऋण, पुरस्कार और पदक संस्थित करना;

(घ) संस्थान के अध्यापकों और अन्य कर्मचारि-वर्ग का वर्गीकरण, नियुक्ति पद्धति और निबंधनों व शर्तों का अवधारण;

(ङ) संस्थान के अधिकारियों, अध्यापकों और अन्य कर्मचारि-वर्ग के हित में पेंशन एवं भविष्य निधियों की स्थापना;

(च) छात्र निवासों और छात्रावासों की स्थापना व उनका रख-रखाव;

(छ) संस्थान के छात्रों के आवासन की शर्तें और छात्र निवासों व छात्रावासों में आवासन के लिए शुल्क एवं अन्य प्रभारों की वसूली; और

(ज) शैक्षणिक संस्थानों के प्रशासन के लिए प्रासंगिक व महत्व के अन्य विषय.

(a) The formation of Departments of teachings;

(b) The fees to be charged for courses of study in the institute and for admission to the examination for conferment of the awards;

(c) The institution of fellowships, scholarships, exhibition loans, prizes and medals;

(d) The classification and method of appointment and the determination of the terms and conditions of teachers and other staff of the institute;

(e) The constitution of pension and provident funds for the benefit of the officers, teachers and other staff of the institute;

(f) The establishment and maintenance of halls and hostels;

(g) The conditions of residence of students of the institute and the levying of fees for residence in the halls and hostels and of other charges; and

(h) Other matters of relevance and importance in the administration of educational institutions.

- (ii) मंडल ऐसी समितियाँ, ऐसे प्रयोजनों के लिए और ऐसी शक्तियों के साथ, नियुक्त कर सकता है, जैसा वह उचित समझे; मंडल इन समितियों में उन व्यक्तियों को सहयोजित कर सकता है, जिन्हें वह उपयुक्त समझे.

The Board may, by resolution, appoint such Committees for such purposes and with such powers, as the Board may think fit; the board may co-opt such persons to those Committees as it considers suitable.

- (iii) मंडल अपने कामकाज के संचालन के लिए अपनी वे शक्तियाँ, जिन्हें वह उचित समझे, किसी समिति या अध्यक्ष को, संकल्प के ज़रिए, प्रत्यायोजित कर सकता है, किंतु शर्त यह है कि इस नियम के अनुसार किसी समिति या अध्यक्ष को प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग करते हुए उनके द्वारा संपन्न कार्रवाई पुष्टि के लिए मंडल की अगली बैठक में रखी जाएगी।

The Board may by resolution delegate to a Committee or the Chairman such of its powers for the conduct of its business as it may deem fit, subject to the condition that action taken by any CommitteeThe chairman under the powers delegated to them by this rule shall be reported for confirmation at the next meeting of the Board.

- (iv) वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखाओं और वित्तीय विवरणों पर मंडल, जैसा यह उचित समझे, संकल्प या अनेक संकल्प पारित कर सकता है।

The Board may pass such resolution or resolutions as it may deem fit on the annual report, the annual accounts and the financial statements.

18. i) सामान्यतः मंडल की बैठक प्रत्येक छः माह में एक बार होगी, और ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए 15 (पंद्रह) दिनों की सूचना दी जाएगी। ऐसी बैठक की कार्यवाही की प्रतियाँ बैठक के उपरांत यथा शीघ्र केंद्र व राज्य सरकारों को प्रेषित की जाएंगी ; बशर्ते कि अध्यक्ष, जब भी उचित समझे, तब तथा दो सदस्यों से अनधिक सदस्यों की लिखित माँग पर, विशेष बैठक बुला सकते हैं।

Ordinarily, the Board shall meet once every six month, and 15 (fifteen) days' notice shall be given of each such meeting, and a copy of the proceedings of such meeting shall be furnished to the Central and State Governments as soon as possible after the meeting; PROVIDED that the Chairman may, whenever he thinks fit, and shall, on the written requisition of not less than two members, call a special meeting.

- ii) मंडल की किसी बैठक में गणपूर्ति, नियम 15 के तहत किसी प्रतिनिधि सहित मंडल के पाँच सदस्यों के उपस्थित होने पर हो जाएगी।

Five members of the Board, including any representative authorized under Rule 15 shall constitute a quorum at any meeting of the Board.

- iii) सदस्यों के बीच मतभेद की स्थिति में, बहुसंख्य सदस्यों की राय अभिभावी होगी।

In case of difference of opinion amongst the members, the opinion of the majority shall prevail.

- iv) अध्यक्ष सहित मंडल के प्रत्येक सदस्य का एक ही मत होगा और मंडल द्वारा अवधारण होने वाले किसी मसले पर पक्ष-विपक्ष में यदि समान मत पड़े हैं, तो अध्यक्ष या बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य अतिरिक्त अथवा निर्णायक मत डाल सकेंगे।

Each member of the Board, including the Chairman, shall have one vote and if there shall be an equality of votes of any question to be determined by the board, the Chairman or member residing shall have an additional or casting vote.

- v) मंडल की हर बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा ही की जाएगी और, उनकी अनुपस्थिति में बैठक की अध्यक्षता उस समय उपस्थित सदस्यों में से चुने गए कोई सदस्य करेंगे।

Every meeting of the Board shall be prescribed over by the Chairman and, in his absence, by a member chosen by the members present to preside on the occasion.

- vi) मंडल की बैठकों में रखे गए कामकाज के अलावा, किसी अन्य कामकाज को, जिसे संपन्न करना इसके लिए आवश्यक हो, भारत स्थित अपने सदस्यों के बीच इस कामकाज का ब्यौरा परिचालित करते हुए, संपन्न किया जा सकता है और इस प्रकार सदस्यों में परिचालित व बहुसंख्य सदस्यों के हस्ताक्षरों से विधिवत् अनुमोदित कोई भी संकल्प उसी तरह प्रभावशील एवं बाध्यकारी होगा, मानो इसे मंडल की बैठक में ही पारित किया गया हो, बशर्ते कि संकल्प पर मंडल के कम से कम पाँच सदस्यों ने अपनी-अपनी राय अभिलेखबद्ध कर दी हो.

Any business, which it may be necessary for the Board to perform, except such as may be placed before its meetings, may be carried out by circulation among all its members in India and any resolution so circulated and approved by a majority of the members signing shall be as effectual and binding as if such resolution had been passed at a meeting of the Board; PROVIDED that at least five members of the Board have recorded their views on the resolution.

19. कार्यकारिणी समिति की संरचना, शक्तियाँ, बैठकें आदि:  
Executive Committee, Composition, Powers, Meetings, etc.

- i) मंडल के सदस्यों में से निम्नांकित सदस्यों से मिल कर कार्यकारिणी समिति का गठन होगा:-

Out of the members of the Board of Governors the following shall constitute an Executive Committee :-

- क) तकनीकी शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल अथवा ऐसा कोई व्यक्ति न होने की स्थिति में, वह अधिकारी जो फ़िलहाल विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है व जिसके पास तकनीकी शिक्षा का प्रभार, अतिरिक्त कार्यों के रूप में या अन्यथा, है;
- ख) केंद्र सरकार के प्रतिनिधियों में से दो प्रतिनिध, जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए;
- ग) केंद्र सरकार द्वारा शासी मंडल में नामांकित विशेषज्ञ; और
- घ) संस्थान के प्राचार्य.
- a) The Director of Technical Education, West Bengal, or if there be no such person, the officer who is for the time being the administrative head of the department which is in charge of technical education, whether in addition to other functions or otherwise;
- b) Two of the representatives of the Central Government to be specified by the Central Government.
- c) The expert nominated by the Central Government to the Board of Governors; and
- d) The Principal of the Institute.

- ii) तकनीकी शिक्षा निदेशक, पश्चिम बंगाल अथवा ऐसा कोई व्यक्ति न होने की स्थिति में, वह अधिकारी जो फिलहाल विभाग का प्रशासनिक प्रमुख है व जिसके पास तकनीकी शिक्षा का प्रभार, अतिरिक्त कार्यों के रूप में या अन्यथा, है, कार्यकारिणी समिति का संयोजक होगा.

The Director of Technical Education, West Bengal, or if there be no such person, the officer who is for the time being the administrative head of the department which is in charge of technical education, whether in addition to other functions or otherwise shall be the convener of the Executive Committee.

20. कार्यकारिणी समिति पर यह देखने का दायित्व होगा कि मंडल द्वारा लिए गए निर्णय लागू हों।  
It shall be the duty of the Executive Committee to see that the decisions taken by the Board of Governors are implemented.

21. शासी मंडल के साधारण अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्यकारिणी समिति मंडल की सभी शक्तियों व कृत्यों का या इनमें से किसी का प्रयोग कर सकेगी।  
The Executive Committee shall exercise all or any of the powers and functions of the Board of Governors, subject to the general superintendence, direction and control of the Board.

22. कार्यकारिणी समिति में किसी रिक्ति के होने पर भी और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में त्रुटि होते हुए भी, कार्यकारिणी समिति कार्य करती रहेगी ; और कार्यकारिणी समिति का कोई कृत्य या कार्यवाही, कार्यकारिणी समिति में किसी रिक्ति के होने और इसके किसी भी सदस्य की नियुक्ति या उसके नामांकन में हुई त्रुटि के कारण मात्र से, अविधिमान्य नहीं होगी।  
The Executive Committee shall function, notwithstanding any vacancy therein and notwithstanding any defect in the appointment or nomination of any of its members; and no act or proceedings of the Executive Committee shall be invalid merely by reason of the existence of any vacancy therein or of any defect in the appointment or nomination of any of its members.

23. i)

कार्यकारिणी समिति की बैठक आवश्यकतानुसार कभी भी किंतु तीन माह में कम से कम एक बार अवश्य होगी , और ऐसी प्रत्येक बैठक के लिए ) 10 दस (दिन की सूचना दी जाएगी .  
ऐसी बैठक की कार्यवाही की प्रतियाँ बैठक के उपरांत यथाशीघ्र शासी मंडल ,  
तथा केंद्र व राज्य सरकारों को प्रेषित की जाएंगी; बशर्ते कि संयोजक , जब भी उचित समझें ,  
तब तथा दो सदस्यों से अनधिक सदस्यों की लिखित माँग पर , विशेष बैठक बुला सकते हैं.

The Executive Committee shall meet as often as necessary and at least once in three months, and 10 (ten) days notice shall be given of each such meeting, and a copy of the proceedings of such meeting shall be furnished to the Board of Governors and to the Central and State Governments as soon as possible after the meeting; PROVIDED the convener may, whenever he thinks fit, and shall, on the written requisition of not less than two members, call a special meeting.

ii) समितिकीकिसीबैठककीगणपूर्तितीनसदस्योंकेवास्तविकरूपसेउपस्थितहोनेपरमानीजाएगी.

Three members of the Executive Committee present in person shall constitute a quorum at any meeting of the Committee.

iii) सदस्योंकेबीचमतभेदकीस्थितिमें, बहुसंख्यसदस्योंकीरायअभिभावीहोगी.

In case of difference of opinion amongst the members, the opinion of the majority shall prevail.

iv) अध्यक्ष, जिन्हेंहरबैठककेअवसरपरचुनाजाएगा ,

सहितकार्यकारिणीसमितिकेहरसदस्यकाएकहीमतहोगा;समितिद्वाराअवधारणहोनेवालेकिसीमसलेपरपक्ष-विपक्षमेंयदिसमानमतपड़ेहैं ,

तोअध्यक्षयाबैठककीअध्यक्षताकररहेसदस्यअतिरिक्तअथवानिर्णायकमतडालसकेंगे.

Each member of the Executive Committee, including the Chairman who will be elected at each meeting of the Committee, shall have one vote; and if there shall be an equality of votes on any question to be determined by the Committee, the Chairman shall have an additional or casting vote.

v) कार्यकारिणीसमितिकीबैठकोंमेंरखेगएकामकाजकेअलावा ,

किसीअन्यकामकाजको, जिसेसंपन्नकरनासमितिकेलिएआवश्यकहो ,

भारतस्थितअपनेसदस्योंकेबीचइसकामकाजकाब्यौरापरिचालितकरतेहुए ,

संपन्नकियाजासकताहैऔरइसप्रकारसदस्योंमेंपरिचालितबहुसंख्यसदस्योंकेहस्ताक्षरोंसेवि

धिवत्अनुमोदितकोईभीसंकल्पउसीतरहप्रभावशीलएवंबाध्यकारीहोगा,मानोइसेसमितिकीबैठ

कमेंहीपारितकियागयाहो , बशर्तेकिसंकल्पपरसमितिकेकमसेकमतीनसदस्योंनेअपनी-

अपनीरायअभिलेखबद्धकरदीहो .

Any business which it may be necessary for the Executive Committee to perform, except such as may be placed before its meetings, may be carried out by circulation among all its members in India, and any resolutions so circulated and approved by the majority of the members signing shall be as effectual and bindings as if such resolution had been passed in meeting of the Committee; PROVIDED that at least three members of the Committee have recorded their views on the resolution.

24. प्राचार्य Principal :

- i) संस्थान के एक प्राचार्य होंगे, जिनकी नियुक्ति मंडल द्वारा ऐसी अर्हताओं व अनुभव एवं नियुक्ति-पद्धति के अनुरूप और ऐसे निबंधनों व शर्तों के तहत की जाएगी, जैसी कि मंडल अवधारित करे; बशर्ते कि प्रथम प्राचार्य की नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी.  
There shall be a Principal of the Institute, to be appointed by the Board in accordance with such qualifications and experience and methods of recruitment and under such terms and conditions of services, as the Board may determine; PROVIDED that the first Principal shall be appointed by the Central Government.
- ii) प्राचार्य संस्थान के मुख्य शैक्षणिक और कार्यपालक अधिकारी होंगे और वे संस्थान के उचित प्रशासन, शैक्षणिक व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने के लिए ज़िम्मेवार होंगे. संस्थान के अन्य सभी कर्मचारि-वर्ग प्राचार्य के अधीन होंगे.  
The Principal shall be the Principal academic and executive officer of the Institute and shall be responsible for the proper administration of the Institute and for the imparting of instruction and maintenance of discipline. All other staff of the Institute shall be subordinate to the Principal.
- iii) प्राचार्य संस्थान के अभिलेख, संस्थान की निधि तथा संस्थान की मंडल द्वारा उनके प्रभार में दी गई अन्य सम्पत्ति के अभिरक्षक होंगे.  
The Principal shall be the custodian of records, the funds of the Institute and such other property of the Institute as the Board may commit to his charge.
- iv) प्राचार्य सोसाइटी, मंडल, कार्यकारिणी समिति तथा सोसाइटीअथवा मंडल की अन्य समितियों के सचिव के रूप में कार्य करेंगे.  
The Principal shall act as Secretary to the Society, the Board, the Executive Committee and other Committees of the Society or the Board.
- v) प्राचार्य के पास ऐसी अन्य शक्तियाँ होंगी तथा वे ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे, जिन्हें मंडल द्वारा उन्हें प्रत्यायोजित किया जाए.  
The Principal shall have such other power and shall perform such other duties as may be delegated to him by the Board.
- vi) प्राचार्य मंडल के अनुमोदन से अपनी शक्तियाँ अपने अधीनस्थों में से किसी को भी पुनर्प्रत्यायोजित कर सकेंगे.  
The Principal shall have the power to re-delegate his powers to any of his subordinates with the approval of the Board.
- vii) प्राचार्य के पद पर रिक्ति होने पर अथवा प्राचार्य अनुपस्थिति, बीमारी या अन्य किसी कारणवश अपना कार्य करने में असमर्थ हैं, तो ऐसी स्थिति में मंडल किसी व्यक्ति को



ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने और ऐसे कृत्यों व कर्तव्यों को निष्पादित करने के लिए, जिन्हें मंडल उचित समझे, प्राधिकृत कर सकता है.

In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Principal or if the Principal is unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, it shall be open to the Board to authorise any person to exercise such powers, functions and duties of the Principal as the Board may deem fit.

25. बजट, लेखे और लेखापरीक्षा: Budget, Accounts, Audit and Reports :

- i) सोसाइटी समय-समय पर संस्थान के बजट प्राक्कलन ऐसे प्ररूप व ऐसी रीति से तैयार करेगी और इन्हें उस तारीख तक केंद्र व राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेगी, जैसा कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार के परामर्श से, निदेश दे. The Society shall from time to time prepare the budget estimates of the Institute in such form and manner and shall submit the same to the Central and State Governments for approval by such dates, as the State Government, in consultation with the Central Government, may direct.
- ii) सोसाइटी प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए वर्ष की समाप्ति के उपरांत पाँच महीनों के भीतर संस्थान के कामकाज पर एक प्रतिवेदन तथा संस्थान के आय-व्यय का संपरीक्षित लेखा विवरणकेंद्र व राज्य सरकारों को प्रस्तुत करेगी.  
The Society shall submit to the Central and State Government a report on the working of the Institute and an audited statement of accounts showing the income and expenditure of the Institute for each financial year within five months after the closing of the year;
- iii) केंद्र और/अथवा राज्य सरकारें, इस नियम के उप-नियम (i) व (ii) वर्णित बजट प्राक्कलन, लेखा-विवरण तथा प्रतिवेदन की जाँच के बाद, इन्हें अपनी टिप्पणियों के साथ सोसाइटी को वापस भेज सकती हैं, और सोसाइटी इन टिप्पणियों पर अनुपालन कार्रवाई करेगी अथवा अन्यथा केंद्र और /अथवा राज्य सरकार को, यथा स्थिति, समाधानप्रद ढंग से मामले पर स्पष्टीकरण देगी.  
The Central and/or the State Government may, after scrutiny of the budget estimates, the statement of accounts and the report referred to in sub-rules (i) and (ii) of this Rule, refer them back to the Society with comments, and the Society shall comply with such comments or otherwise explain the matter to the satisfaction of the Central and/or the State Government as the case may be.

26. सचिव के नाम से सोसाइटी पर वाद लाना:

Society to be sued in the name of the Secretary :

सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का XXI)की धारा 6 के प्रयोजनों के लिए, सोसाइटी के सचिव ही वह व्यक्ति हैं, जिनके नाम से सोसाइटी वाद कर सकती है या इस पर वाद लाया जा सकता है.

For the purposes of Section 6 of the Society's Registration Act, 1860 (XXI of 1860), the person in whose name the Society may sue or be sued shall be the Secretary of the Society.

27. सोसाइटी के लिए और इसकी ओर से वे सभी संविदाएं, जिनका मूल्य रु. 10,000 /- अथवा इससे कम है, संस्थान के प्राचार्य द्वारा निष्पादित की जाएंगी, और यदि संविदाओं का मूल्य रु. 10,000/- से अधिक है, तो इन्हें संस्थान के प्राचार्य एवं कार्यकारिणी के संयोजक द्वारा निष्पादित किया जाएगा. मंडल सोसाइटी की ओर से संविदा करने के लिए किसी व्यक्ति को भी ऐसे प्रतिबंधों एवं शर्तों के अधीन प्राधिकृत कर सकता है, जिन्हें मंडल अधिरोपित करे.

All contracts for and on behalf of the Society shall be executed by the Principal of the Institute if the value of the contract is Rs.10,000/- or less, and by the Principal of the Institute and the Convener of the Executive Committee, if the value of the contract exceeds Rs.10,000/- The Board may also authorise any person to enter into contracts on behalf of the Society subject to such restrictions and conditions as the Board may impose.

28. प्रयोजनों और नियमों में परिवर्तन आदि: Alteration etc. of purposes and rules :

- i) केंद्र और राज्य सरकारों के पूर्वानुमोदन के अधीन, सोसाइटी किसी प्रयोजन अथवा प्रयोजनों, जिनके लिए इसे स्थापित किया गया है, को परिवर्तित, विस्तारित अथवा संक्षिप्त कर सकती है, बशर्ते कि ऐसा, इस बारे में 1860 के अधिनियम XXI द्वारा विहित प्रक्रिया अपनाते हुए, किया जाए.

Subject to the prior approval of the Central and the State Governments the Society may alter, extend or abridge any purpose or purposes for which it is established, PROVIDED it carries out the procedure prescribed in that behalf by Act XXI of 1860.

- ii) इन नियमों में परिवर्तन केंद्र और राज्य सरकारों की सहमति से, सोसाइटी की इस उद्देश्य से विधिवत् आहूत किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों में से दो-तिहाई के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कभी भी किया जा सकता है.

These Rules may be altered with the consent of the Central and the State Government any time by a resolution passed by a majority of two-thirds of the members present at any meeting of the Society which shall have been duly convened for the purpose.

हम, शासी मंडल के निम्नांकित सदस्य यह प्रमाणित करते हैं कि उपर्युक्त सोसाइटी के नियमों की सही प्रतिलिपि है:-

We, the following members of the Board of Governors certify that the above is a correct copy of the Rules of the Society :-

ह/- अपठनीय sd/- illegible  
खाद्य और कृषि मंत्रालय Ministry of Food & Agriculture  
(खाद्य विभाग Department of Food टेलीनं. Tele No. 263180)

ह/- अपठनीय sd/- illegible  
(जे.सी. लूथर J.C.Luther)  
उप सचिव, वित्त मंत्रालय Deputy Secretary, M/Finance  
टेली Tele No. 36532

मोहर

S T A M P

S/5538

1

खानपान प्रौद्योगिकी एवं अनुप्रयुक्त पोषाहार संस्थान (कलकत्ता) सोसाइटी  
Institute of Catering Technology and Applied Nutrition (Calcutta) Society  
संगम-ज्ञापन, नियम एवं विनियम  
Memorandum of Association, Rules & Regulations  
21.11.62 को पंजीकृत  
Registered on 21.11.62  
हस्ता/- बी.के.सोम  
Sd/- B. K. Som  
पंजीयक, फ़र्म, सोसाइटीज़ गैर व्यापार निगम, पश्चिम बंगाल  
Registrar of Firm, Societies / Non trading Corporations, West Bengal

